

DFA

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन(योजना -0101)-126 / 2020...314.....

प्रेषक,

जय सिंह, मा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी,
नवादा एवं कैमूर (भभूआ)
समाहर्ता,
छपरा (सारण)
बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, किशनगंज,
सुपौल एवं पूर्णियाँ

पटना, दिनांक : 03-02-2021

विषय :- मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 -
सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य
का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों को
वेतनादि एवं वेतनादि से भिन्न मद में 35,60,035/- (पैंतीस लाख साठ हजार
पैंतीस) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र० सं०	बन्दोबस्त / समाहर्ता कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	11 01 यात्रा व्यय	28 04 व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवाएँ	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी, नवादा	957700	162809	65078	17000	0	0	1202587
2	समाहर्ता-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ)	500000	100000	50000	10000	0	0	660000
3	समाहर्ता छपरा (सारण)	0	0	0	0	0	982940	982940
4	बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय	0	0	0	0	0	210835	210835

क्र० सं०	बन्दोबस्त/समाहर्ता कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	11 01 यात्रा व्यय	28 04 व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया	0	0	0	0	0	303673	303673
6	बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार	0	0	0	0	50000	0	50000
7	बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज	0	0	0	0	50000	0	50000
8	बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल	0	0	0	0	50000	0	50000
9	बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्णियाँ	0	0	0	0	50000	0	50000
कुल योग :-		1457700	262809	115078	27000	200000	1497448	3560035

(पैतीस लाख साठ हजार पैतीस रुपये मात्र)

3. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
4. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - **2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 11650 दिनांक 21.12.2020 के साथ संलग्न प्रपत्रों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाए।
7. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
13. यह आवंटन समाहर्ता, छपरा (सारण) को हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2019 के अवसर पर मेला क्षेत्रान्तर्गत निर्मित राजस्व विभागीय प्रदर्शनी एवं प्लॉटर अधिष्ठापन विपत्र के भुगतान हेतु रूपया 9,82,940/- निर्गत किया जाता है।
14. बन्दोबस्त पदाधिकारी बेगूसराय के पत्र संख्या 432 दिनांक 11.09.2020 एवं खगड़िया के पत्रांक 31-I दिनांक 13.07.2020 के आलोक में एजेंसी को भुगतान हेतु आवंटन निर्गत किया जाता है।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (योजना -0101)-126 / 2020.....314..... पटना, दिनांक:-03-02-2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक:-

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (योजना -0101)-126 / 2020.....314..... पटना, दिनांक 03-02-2021

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (योजना -0101)-126 / 2020.....314..... पटना, दिनांक 03-02-2021

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (योजना -0101)-126 / 2020.....314..... पटना, दिनांक 03-02-2021

प्रतिलिपि :- सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण